भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3162

07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

संपर्क सड़कमार्गों के लिए मास्टर प्लान

†3162. श्रीमती डी. के. अरुणाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चेन्नई, हैदराबाद और बंगलुरू जैसे कई शहरों के भीड़-भाड़ वाले इलाकों के निवासियों ने संबंधित नगर निगमों से यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए संपर्क सड़कमार्गों के निर्माण हेतु मास्टर प्लान तैयार करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त नगर निगमों ने स्थानीय गलियों, वार्डों और क्षेत्रों को जोड़ने वाली कम से कम 800 से 1000 मीटर लंबी संपर्क सड़कमार्गों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेलंगाना सहित राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन, शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहायता करती है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच एकीकरण, यातायात की भीड़ को कम करने के लिए लिंक रोड के निर्माण सहित शहरी परिवहन अवसंरचना की योजना बनाने, आरंभ करने और विकास के लिए उतरदायी हैं। यद्यपि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने विनियमित और योजनाबद्ध विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो द्वारा अपनाए जाने हेतु "शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण एवं कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई)" दिशानिर्देश, 2014 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf) जारी किए हैं।

यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश 2014 का अध्याय-8 "इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना" परिवहन योजना और शहरी सड़कों के वर्गीकरण के पहलुओं से संबंधित है, जिसमें शहरी सड़कों के डिजाइन संबंधी विचार-क्षेत्र आदि शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी विकास प्राधिकरणों/शहरी स्थानीय निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों को स्थानीय प्रचलित परिस्थितियों के अनुरूप अपनाएं, जो शहर-दर-शहर भिन्न हो सकती हैं।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत, 'जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के निरूपण' को 100% केंद्रीय वित्त पोषित उप-योजना के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसे 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 461 नगरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 454 कस्बों के लिए जीआईएस डेटाबेस का मसौदा तैयार किया गया है, जिनमें से 447 कस्बों के लिए जीआईएस डेटाबेस का अंतिम रूप तैयार किया जा चुका है। 395 कस्बों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया गया है, जिनमें से 278 कस्बों के लिए अंतिम जीआईएस आधारित मास्टर प्लान को अनुमोदित किया गया है। तेलंगाना राज्य सहित अमृत के अंतर्गत शुरू किए गए मास्टर प्लान का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की उप-योजना का विस्तार 50,000 से 99,999 की आबादी वाले श्रेणी-II शहरों को शामिल करने के लिए किया गया है। अब तक 112 शहरों के लिए मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया गया है, जिनमें से अब तक 48 शहरों ने मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया है। तेलंगाना सहित अमृत 2.0 के अंतर्गत शुरू किए गए मास्टर प्लान का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

तदनुसार, सरकार शहरी नियोजन और अवसंरचना विकास को विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने के प्रमुख साधनों के रूप में देखती है, जिसमें शहरों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने और उन्हें रहने योग्य बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

अनुलग्नक-I

"लिंक सड़कों के लिए मास्टर प्लान" के संबंध में दिनांक 07.08.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3162 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अमृत के अंतर्गत शुरू किए गए मास्टर प्लान का राज्यवार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य	बनाए गए जीआईएस डेटाबेस	बनाए गए मास्टर प्लान	अनुमोदित मास्टर प्लान
1	आंध्र प्रदेश	26	26	21
2	अंडमान और निकोबार	1		
3	अरुणाचल प्रदेश	1	1	1
4	असम	4	4	1
5	बिहार	24		
6	छत्तीसगढ	9	9	
7	गोवा	1	1	
8	गुजरात	31	31	31
9	हरियाणा	17	16	
10	हिमाचल प्रदेश	2	2	2
11	जम्मू और कश्मीर	2	2	2
12	झारखंड	6	6	6
13	कर्नाटक	23	16	
14	केरल	9	9	9
15	लद्दाख	2	1	
16	मध्य प्रदेश	34	32	23
17	महाराष्ट्र	44	44	44
18	मणिपुर	1	1	1
19	मेघालय	1	1	1
20	मिजोरम	1	1	1
21	नागालैंड	2	2	2
22	ओडिशा	6	1	
23	पुदुचेरी	3	3	2
24	पंजाब	17	17	16
25	राजस्थान	29	28	28
26	सिक्किम	1	1	1
27	तमिलनाडु	18	18	2
28	तेलंगाना	12	10	3
29	उत्तर प्रदेश	59	59	52
30	उत्तराखंड	7	7	
31	पश्चिम बंगाल	54	46	29
	कुल	447	395	278

अनुलग्नक-II

अमृत 2.0 के अंतर्गत शुरू किए गए मास्टर प्लान का राज्यवार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य	ड्राफ्ट मास्टर प्लान	फाइनल मास्टर प्लान
1	आंध्र प्रदेश	35	2
2	मध्य प्रदेश	9	3
3	महाराष्ट्र	66	42
4	राजस्थान	2	1
5	तेलंगाना	0	0
	कुल	112	48